



परसिंपत्त पुनर्नरिमाण कंपनियों के लिये RBI दशा-नरिदेश

प्रलिमिंस के लिये:

[भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#), [परसिंपत्त पुनर्नरिमाण कंपनियाँ](#), [सडिबी](#), [नाबारड](#), [गैर-नषिपादति परसिंपत्तियाँ \(NPA\)](#), [सरफेसी अधनियिम \(2002\)](#)

मेन्स के लिये:

परसिंपत्त पुनर्नरिमाण कंपनियों, बैंकिंग क्षेत्र तथा गैर-नषिपादति परसिंपत्तियों का महत्त्व ।

[स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड](#)

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल, 2024 से प्रभावी परसिंपत्त पुनर्नरिमाण कंपनियों (ARCs) के लिये अद्यतन दशानरिदेशों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक नरिदेश जारी किया है ।

परसिंपत्त पुनर्नरिमाण कंपनियों (ARC) के लिये RBI दशा-नरिदेश क्या हैं ?

- न्यूनतम पूंजी आवश्यकता में वृद्धि:
 - ARCs को पहले 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती थी; इस आवश्यकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है ।
 - मौजूदा ARCs को 31 मार्च, 2026 तक 300 करोड़ रुपए की नई न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली नर्धि(NOF) सीमा तक पहुँचने के लिये एक संक्रमण अवधि दी गई है ।
 - उच्च पूंजी आवश्यकता की दशा में परिवर्तन के हिससे के रूप में ARC को 31 मार्च, 2024 तक न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की पूंजी सुनिश्चित करनी होगी ।
 - यदि उपरोक्त किसी भी चरण को पूरा नहीं किया जाता है, तो गैर-अनुपालन करने वाले ARCs को पर्यवेक्षी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें नए व्यवसाय को लेने पर प्रतिबंध शामिल हो सकता है जब तक कि वह उस बटु पर प्रभावी न्यूनतम NOF को पूरा नहीं कर लेता ।
- बॉण्ड समाधान आवेदक के रूप में पात्रता:
 - न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए के NOF वाले ARC को [दवाला और दवालीयापन संहिता, 2016 \(IBC\)](#) के अंतर्गत परसिंपत्त समाधान प्रक्रिया में समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति है ।
- नविश के अवसर:
 - ARC से प्राप्त धनराशिको सरकारी प्रतभूतियों में नविश किया जा सकता है तथा साथ ही अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों [राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक \(नाबारड\)](#), [भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक \(सडिबी\)](#) अथवा अन्य संगठनों के पास जमा किया जा सकता है जनिहें देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर नरिधारति किया जाता है ।
 - इसके अतिरिक्त, ARC किसी पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा AA- या उससे ऊपर की अल्पकालिक रेटिंग वाले मनी मार्केट [मयुचुअल फंड](#), [जमा प्रमाणपत्र](#) और कॉर्पोरेट बॉण्ड/[वाणज्यिक पत्रों](#) जैसे अल्पकालिक उपकरणों (Short-term Instrument) में नविश कर सकते हैं ।
 - हालाँकि, ऐसे अल्पकालिक उपकरणों में अधिकतम नविश पर NOF सीमा 10% होती है ।

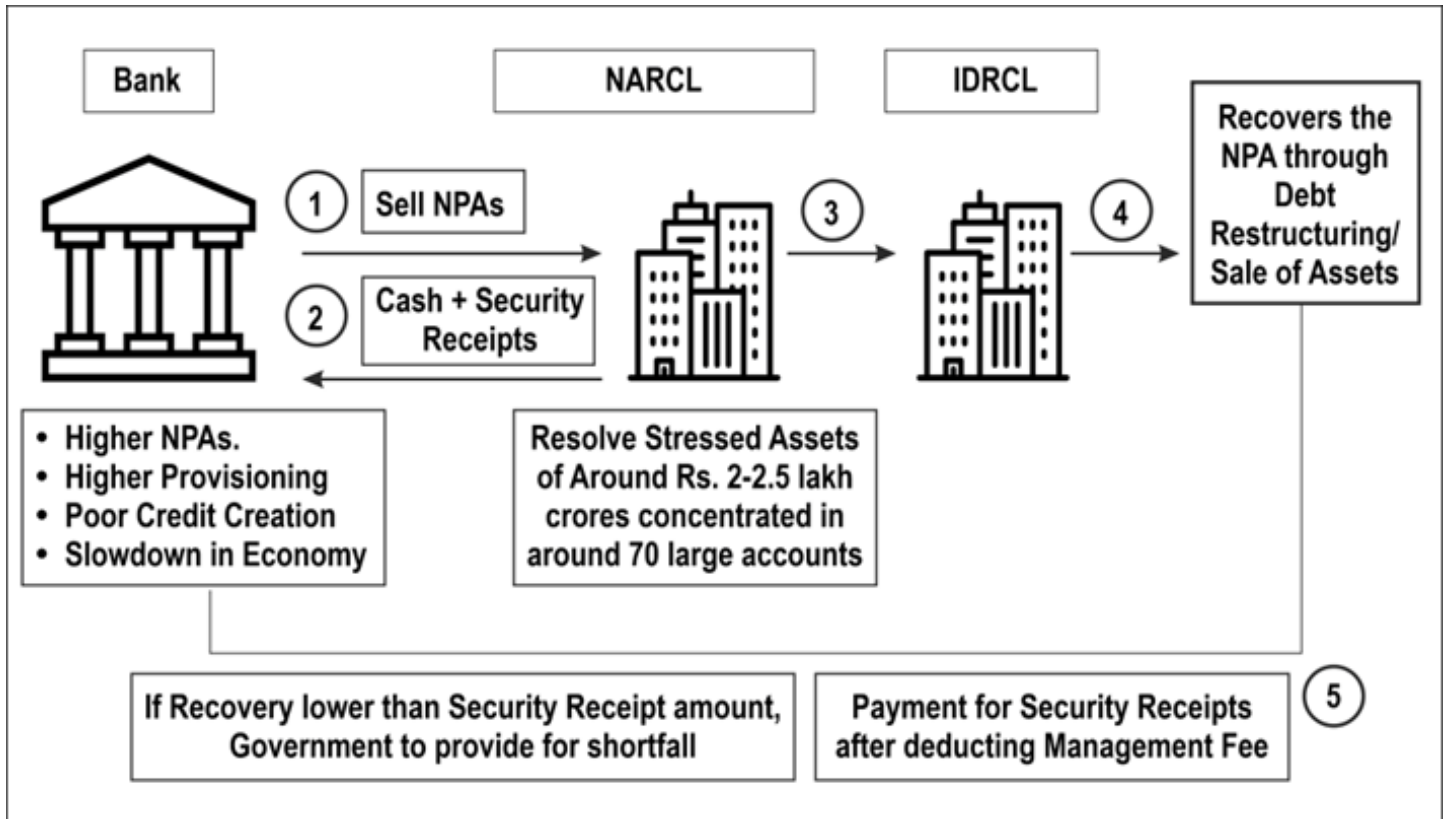
परसिंपत्त पुनर्नरिमाण कंपनी (Asset Reconstruction Company- ARC) क्या है?

- परिचय:
 - ARC वित्तीय संस्थान होते हैं, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से [गैर-नषिपादति संपत्ति\(NPA\)](#) या गैर-नषिपादति संपत्ति (Bad Asset) खरीदते हैं ।

- इससे बैंकों और सस्स्थानों को अपनी बैलेंस शीट साफ करने की सुविधा मिलती है।
- इसे **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत शामिल किया गया है, **वित्तीय संपत्तियों का प्रतभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002** के तहत भारतीय रज़िर्व बैंक के साथ पंजीकृत किया गया है।

- **उदाहरण:**

- नेशनल एसेट रकिसटरकशन कंपनी लिमिटेड (NARCL) की स्थापना बैंकों द्वारा बाद के समाधान के लिये लचीली संपत्तियों (Stressed Asset) को एकत्र करने और समेकित करने के लिये की गई है। इसमें 51% हसिसेदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का बहुमत है।
- इंडिया डेट रेजोलयूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) एक अन्य इकाई है, जो लचीली संपत्तियों को बाज़ार में बेचने का प्रयास करेगी।
 - PSB और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (FI) IDRCL में अधिकतम 49% की हसिसेदारी रखेंगे। जबकि शेष 51% हसिसेदारी नज्दी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी।

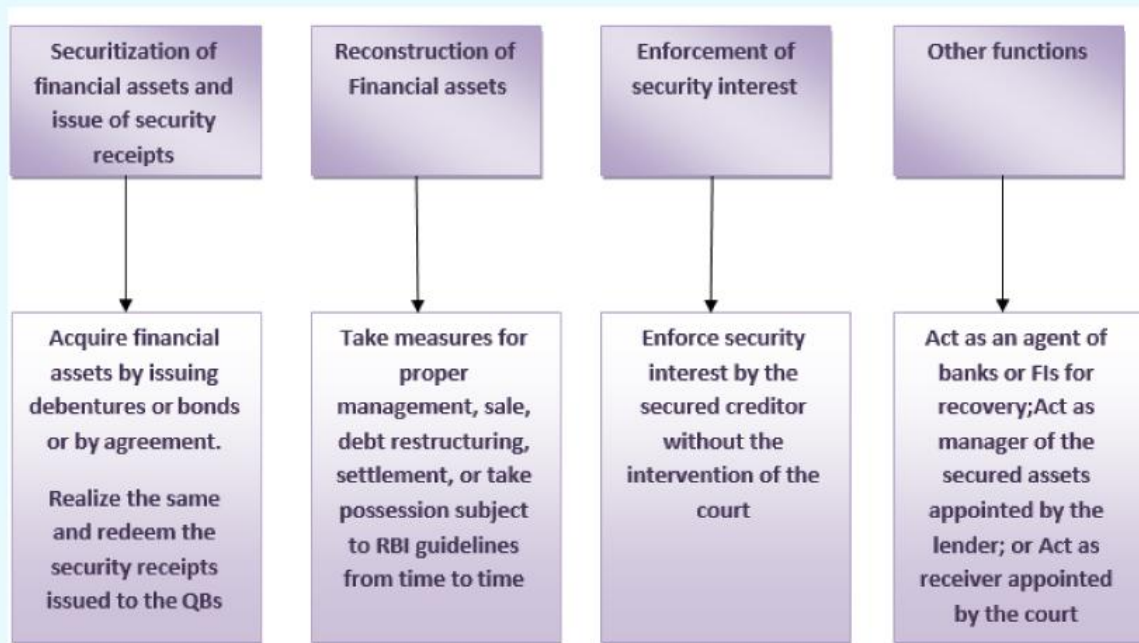


- **कार्य:**
 - **SARFAESI अधिनियम, 2002** द्वारा अधिकार प्राप्त ARC संकटग्रस्त परसंपत्तियों की वसूली और परविवर्तन में विशेषज्ञता रखते हैं।
 - वे ऋणदाताओं से नकद या नकदी और प्रतभूत प्राप्तियों के संयोजन के माध्यम से खराब ऋण (Bad Debt) लेते हैं।
- **व्यापार मॉडल:**
 - **लचीले ऋणों का अधगिरहण:** ऋणदाता ARC को लचीले ऋणों को छूट पर बेचते हैं, जिससे नए ऋणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये उनके संसाधन मुक्त हो जाते हैं।
 - **प्रतभूत की प्राप्ति (Security Receipt):** ARC ऋणदाताओं को प्रतभूत प्राप्ति जारी करती है, जिन्हें वशिष्ट ऋण की वसूली पर भुनाया जा सकता है।
 - वे वार्षिक परसंपत्ति मूल्य का 1.5% से 2% का प्रबंधन शुल्क भी लेते हैं और बिक्री वित्तीय संस्थानों (Selling Financial Institution) के साथ साझा करते हुए वसूली से कमाई करते हैं।
- **चुनौतियाँ:**
 - ARC अक्सर पुराने NPA से निपटते हैं, जो लंबे समय तक चूक के कारण मूल्यांकन और वसूली के मामले में चुनौतियाँ पेश करते हैं।
 - कई उधारदाताओं से एक ही उधारकर्ता पर ऋण एकत्र करना जटिल हो सकता है, जिसके लिये विभिन्न हतिधारकों के बीच समन्वय और समझौते की आवश्यकता होती है।
 - ARC को अपनी बैलेंस शीट पर धन जुटाने, संकटग्रस्त संपत्तियों को हासिल करने की क्षमता सीमित करने या पुनरुद्धार के लिये उधारकर्ताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
 - अधगिरहण और पुनर्प्राप्ति उद्देश्यों के लिये संकटग्रस्त परसंपत्तियों का खासकर जब अशक्ति या जटिल परसंपत्तियों से निपटना हो, उचित मूल्य निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **RBI द्वारा ARC विनियमों में हालिया परिवर्तन:**
 - **कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करना:** ARC में कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाने के लिये RBI ने आदेश दिया कि बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड बैठक में कम-से-कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिये।

- **बढ़ी हुई पारदर्शिता:** ARC को सुरक्षा रसीद नविशकों के लिये उत्पन्न रटिर्न पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड का खुलासा करना और पारदर्शिता में सुधार के लिये पछिले आठ वर्षों में शुरू की गई योजनाओं के लिये रेटिंग एजेंसियों के साथ जुड़ना आवश्यक है।
- **नविश आवश्यकताएँ:** ARC को **प्रतभूत प्राप्ति (SR)** में ऐसी प्राप्ति में हस्तांतरणकर्त्ताओं के नविश का कम-से-कम 15% या जारी की गई कुल प्राप्ति का 2.5%, सभी मामलों में कुल प्रतभूत प्राप्ति के 15% की पछिली आवश्यकता के वपिरीत, जो भी अधिक हो।
 - SR ARC द्वारा योग्य खरीदारों (QB) को बैंकों और **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)** से संकटग्रस्त संपत्तियों की खरीद के बदले में जारी किये गए उपकरण हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002

Role of SARFAESI Act, 2002



?????? ???? ????:

प्रश्न. भारतीय वित्तीय परदृश्य में परसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies) के सामने आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रयान्वति करने के उपाय सुझाइए।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. पछिल्ले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थिति करने के लिये मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सरकार ने क्रेडिट वसति का समर्थन करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के लिये किये जाने वाले प्रावधानों से होने वाले नुकसान से निपटने में मदद हेतु राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में पूंजी अंतर्वेशन का कार्य किया है।
- परंतु सरकारी बैंकों में पूंजी अंतर्वेशन का चलन किसी एक दशा में वशिष्ट नहीं रहा है, यह बढ़ता-घटता रहा है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- फरवरी 2017 में केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भारतीय महिला बैंक और पाँच सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दी थी। विलय का उद्देश्य सार्वजनिक बैंक संसाधनों का युक्तिकरण, लागत में कमी, बेहतर लाभप्रदता और जनता के लिये ब्याज की बेहतर दर के लिये धन की कम लागत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उत्पादकता एवं ग्राहक सेवा में सुधार करना था। संसद ने सार्वजनिक बैंक के युक्तिकरण को प्रभावित करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक के साथ छह सहायक बैंकों का विलय करने हेतु स्टेट बैंक (नरिसन और संशोधन) अधिनियम, 2017 पारित किया। **अतः कथन 2 सही है।**

प्रश्न. भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010)

1. वे सरकार द्वारा जारी प्रत्यूतियों के अधिग्रहण में शामिल नहीं हो सकती।
2. वे बचत खाते की तरह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)